कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय
केजीबीवी टाईप–4

दिशा–निर्देश

सत्र 2019–20

समग्र शिक्षा, राजस्थान

बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

द्वितीय तल, राजीव गॉधी विद्या भवन, शिक्षा संकुल

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–17

फोन– 0141–2715550,2715517,2715518,2705522

ईमेल– girlseducationsmsa@gmail.com; rajssa_gender@yahoo.co.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि एवं उददेश्य	03–06
2.	टाईप–4 के संचालन संबंधी दिशा–निर्देश	06–07
3.	छात्रावास में बालिकाओं का नामांकन एवं ट्रांजिशन	07–11
4.	केजीबीवी का जिलास्तरीय संचालन 4.1 जिला स्तर पर निष्पादक समिति 4–2 छात्रावास संचालन समिति	 11–12 12–13
5.	आवासीयता संबंधी प्रावधान 5.1 बालिकाओं की सुरक्षा 5.2 भवन में सुरक्षा प्रबंधन एवं आपदा प्रबंधन 5.3 स्वास्थ्य एवं संरक्षा 5.4 छात्रा परिषद का गठन	 13–15 15 16 16–17
6.	आवर्ती राशि का उपयोग 6.1 बालिकाओं का भोजन एवं रखरखाव 6.2 सहायक टीएलएम, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री 6.3 बिजली एवं पानी शुल्क 6.4 चिकित्सकीय सुविधाएं 6.5 भवन का रखराव 6.6 विविध	 18–22 22–23 23 23–25 25–26 26
7.	अनावर्ती मद 7.1 पलंग बिस्तर का क्रय 7.2 फर्नीचर एवं रसोई के सामान	 27 27–28
8.	छात्रावास कार्मिकों की व्यवस्था 8.1 प्रतिनियुक्त स्टाफ 8.2 नोडल विद्यालय के संस्थाप्रधान के प्रमुख दायित्व 8.3 समस्त केजीबीवी टाईप–4 में बैर शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था	 28–30 31 32–33
9.	अभिभावक शिक्षक बैठक	34
10.	शारीरिक शिक्षा एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण	35
11.	वित्तीय प्रक्रिया 11.1 उपयोगिता प्रमाण–पत्र	 35–37
12.	वित्तीय पारदर्शिता	37
13.	मॉनीटरिंग एवं अकादमिक सहयोग	37–39
14.	छात्रावास का स्वरूप	39–42

दिशा–निर्देश

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, टाईप–4 (कक्षा 9 से 12 के छात्रावास)

सत्र 2019–20

क्रमांक : प.6 / रास्कूलशिप / जय / बा.शि. / केजीबीवी / कम्पैन्डियम / 2019–20 / 6279 दिनांक : 10.10.19

ईमेल– girlseducationsmsa@gmail.com, rajssa_gender@yahoo.co.in

1. पृष्ठभूमि एवं उददेश्य :

शैक्षिक उन्नयन की चुनौती एवं बदलते संदर्भों में शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए माननीय **प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2007** को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा था कि **"हमें मात्र साक्षरता कागजी मायनों में ही उपलब्ध नहीं करानी है अपितु अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देना हमारा ध्येय है जो कि पहुँच में हों अर्थात प्रत्येक बालक–बालिका जो पढ़ना चाहे उस तक आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो सके।"**

इसी के मध्यनजर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता से लेकर अब तक कई प्रयास किये गये है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा कई परियोजनाऐ यथा–शिक्षाकर्मी बोर्ड,,लोक जुम्बिश, एनपीईजीईएल, जिला प्राथमिक शिक्षा, मिड–डे–मील, सर्वशिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्रियान्विति की गई। इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन बालिकाओं के संदर्भ में और सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की स्थिति चिन्ताजनक है।

इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा **"कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय"** (केजीबीवी) योजना शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनके ठहराव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में चालू की गयी। उक्त योजना अन्तर्गत 10+ से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 की दक्षताओं की सम्प्राप्ति एवं कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा जहां बालक–बालिकाओं को उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए तैयार करती है, तथा उच्च स्तरीय ज्ञान, कौशल, जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ओर अग्रसर कर आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाती है। इसी अवधारणा पर माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं सम्बलन हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से इन बालिकाओं की आगामी शिक्षा को जारी रखनें के लिए सत्र 2009–10 में केन्द्र सरकार द्वारा **"बालिका छात्रावास"** नाम से दूसरी योजना चालू की गयी। जो कि राज्य में 2017–18 तक यह **"शारदे बालिका छात्रावास"** के नाम से संचालित थी।

इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा जारी रखने हेतु कक्षा 9 से 12 की राजकीय विद्यालय में नामांकित बालिकाओं को छात्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। बालिका छात्रावास में प्राथमिकता से केजीबीवी से कक्षा 8 उर्त्तीण बालिकाओं का नामांकन कराया जाता है। रिक्त स्थानों पर वंचित वर्ग की बालिकाओं को भी यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया।

जनगणना 2001 के आधार पर राजस्थान में 186 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स निश्चित किये गये हैं। ये वे ब्लॉक्स है जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46% से कम एवं जेण्डर गेप 20% से अधिक है। इन्ही 186 शैक्षिक पिछड़े ब्लॉक्स (Educationally Backward Blocks) में ये बालिका छात्रावास संचालित हैं। इनके अलावा 14 अल्पसंख्यक केजीबीवी सहित कुल 200 केजीबीवी का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में कक्षा 9 से 12 के सभी छात्रावास "कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, टाईप–4" के नाम से "राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर" द्वारा संचालित हैं।

इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल एवं अल्पसंख्यकों वर्ग की अधिकतम 100 बालिकाएँ रह सकती है। सभी आवासीत छात्राऐं निकटतम विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययन करती हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली बालिकाओं को निःशुल्क आवास, भोजन एवं दैनिक सामग्री की सुविधा प्रदान की जाती हैं, जिससे उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके।

उददेश्य –

1. इन केजीबीवी में समाज में वंचित वर्गो की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सके इस हेतु प्राथमिकता से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
2. केजीबीवी में आवासित बालिकाओं को शिक्षण के साथ–साथ आवास, भोजन, चिकित्सा, स्टेशनरी, स्टाईफंड एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
3. बालिकाओं को शिक्षण के साथ–साथ कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill development training) हेतु दो कोर्स (कटिंग टेलरिंग एवं ब्यूटी कल्चर) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वो शिक्षण उपरांत आत्मनिर्भर बन सके।
4. छात्राओं को विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
5. बालिकाओं की समाज में स्थिति और बालिकाओं में शिक्षा में विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के विकास एवं उनके बौद्धिक क्षमता के संवर्द्धन के लिये प्रतिवर्ष केजीबीवी में किशोरी शैक्षणिक मेलों का आयोजन किया जाता है।
6. केजीबीवी शिक्षिकाओं की क्षमता अभिवर्द्धन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते है। जिससे शिक्षिकाओं में कन्डेन्स्ड कोर्स शिक्षण दक्षता, व्यवहार, जीवन कौशल, विद्यालय प्रबन्धन एवं विषय वस्तु आधारित जानकारी प्रदान करवायी जाती है ताकि बालिकाओं की क्षमता एवं उनके बौद्धिक विकास में वे सहायक हो सके।

- **नामांकन एवं लाभान्वित बालिकाएं –**

गत वर्षो में सत्र 2006–07 से सत्र 2018–19 तक कुल 200 केजीबीवी में 207472 एवं सभी 186 शारदे बालिका छात्रावासों में सत्र 2014–15 से 2018–19 तक कुल 54532 बालिकाएं लाभान्वित हुई है।

गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी टाईप–4 में कक्षा 9–12 में अध्ययनरत बालिकाओं का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Type	Target	Achievement	Orphan	CWSN	Single Parent	Over Age	Others
1	Type-4	11800	10846	98	-	738	-	10010

- **बोर्ड परीक्षा परिणाम –**

गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी टाईप–4 में कक्षा 10वीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं का विवरण –

S.No.	Type	Class	No of girls appeared in exam	Division			No. of girls pass out	Supplementary
				Ist Divisiton	IInd division	IIIrd division		
1	Type-4	10th	2884	497	1221	395	2113	339
		12th	1845	896	681	111	1687	46
		Total	**4729**	**1393**	**1902**	**506**	**3800**	**385**

- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** – आत्मरक्षा प्रशिक्षण अन्तर्गत गत सत्र 2018–19 में केजीबीवी में आवासीत समस्त बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण उनके विद्यालय में प्रदान किया गया।
- **भोजन तथा आवास** – केजीबीवी में आवासरत समस्त बालिकाओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार नियमित पौष्टिक भोजन एवं आवास उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ–साथ शुद्ध पेयजल, बिजली एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।
- **चिकित्सा सुविधा** – आवासरत प्रत्येक बालिका का नियमित चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है।

"शारदे बालिका छात्रावासों की भूमिका" के संबंध में निदेशालय मूल्यांकन संगठन, योजना भवन, जयपुर, राजस्थान सरकार के द्वारा मूल्यांकन – श्रीमान् निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय मूल्यांकन संगठन, योजना भवन जयपुर के द्वारा शारदे बालिका छात्रावासों (केजीबीवी टाईप–4) का मूल्यांकन गत सत्र में किया गया है। इस संबंध में पत्रांक–अ.शा.पत्रांक – एफ – 36 (100) मूसं / तक /2016–17/2225 दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार बालिका छात्रावास योजना ग्रामीण क्षेत्र के वंचित वर्ग की बालिकाओं तथा एस.सी.,एस.टी. ,अल्पसंख्यक, बी.पी.एल को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने हेतु उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूर्ण करवाने हेतु और इनके चहुंमुखी विकास के लिये यह योजना बालिकाओं के लिये आवश्यक है जिसमें निरन्तर गुणात्मक वृद्धि हेतु प्रयास किया जा सकता है।

सत्र 2018–19 में केजीबीवी टाईप–4 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवर्ती मद में अनुमोदन अनुसार समस्त 118 केजीबीवी का संचालन किया गया।

गतिविधि संचालन उपरांत प्रभावों का आंकलन –

प्रत्येक छात्रावास में वर्षपर्यन्त पीएबी के अनुमोदन अनुसार छात्रावास का संचालन किया जाकर बालिकाओं के शैक्षिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पूर्ण हो पाता है जो कि उनके द्वारा परीक्षाओं के परिणाम सह–शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता आदि में परिलक्षित होता है। वर्तमान सत्र में प्रत्येक नोडल प्रधानाचार्य अपने स्तर पर नियमित रूप से समस्त गतिविधियों के संचालन की सुनिश्चितता करेगें। इनके साथ ब्लॉक स्तर पर सी.बी.ई.ओ, जिला स्तर पर एडीपीसी प्रत्येक तिमाही में संचालित होने वाली गतिविधियों का प्रतिवेदन राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें। पृष्ठ संख्या ..... में अंकित निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा संचालित गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग की जायेगी।

1.1. राज्य में एकीकृत केजीबीवी योजना का आरंभ

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एकीकरण के साथ ही केजीबीवी योजना एवं (शारदे) बालिका छात्रावास योजना को समन्वित कर दिया गया है। सत्र 2018–19 से दोनों योजनाएं समन्वयन पश्चात् एकीकृत केजीबीवी योजना (Integrated KGBV Scheme or KGBV) अथवा केजीबीवी के नाम से जानी जा रही हैं। एकीकृत केजीबीवी को निम्नानुसार तीन प्रकार में विभाजित किया गया है –

1. केजीबीवी टाईप–1 – कक्षा 6 से 8 हेतु
2. केजीबीवी टाईप–3 – कक्षा 6 से 12 हेतु
3. केजीबीवी टाईप–4 – कक्षा 9 से 12 हेतु

जानकारी हेतु:
केजीबीवी टाईप–2
(कक्षा 6 से 10 हेतु)
राज्य में संचालित नहीं हैं।

वर्तमान सत्र 2019–20 में एकीकृत केजीबीवी का टाइप–वार विवरण तालिका– 01 में निम्नानुसार हैं।

केजीबीवी टाईप–1, 3 एवं 4 की कुल संख्या का वर्गीकरण
तालिका–1

KGBV Type	School cum Hostel (SH) / Only Hostel (H)	Class	No. of SH/H	Maximum Capacity	Total Capacity
	KGBV Type-I				
1	Schools cum Hostel = 78	6-8	78	100	7800
	Only Hostel = 13		13	100	1300
	Total =		**91**		**9100**
	KGBV Type-III				
3	Schools cum Hostel = 100 (for class 6 to 8 & Only Hostel for 9 to 12)	6-12	1	250	250
			1	150	150
			38	100	3800
			60	200	12000
	Only Hostel = 09 for class 6 to 12		6	200	1200
			3	100	300
	Total =		**109**		**17700**
	KGBV Type-IV				
4	Only Hostel = 119	9-12	**119**	**100**	**11900**
	Grand Total =		**319**		**38700**

1.2. टाईप के चयन का आधार –

- केजीबीवी अपग्रेडेशन के प्रथम चरण में सत्र 2018–19 में एक ही परिसर में संचालित पूर्ववर्ती केजीबीवी एवं बालिका छात्रावास को टाईप–3 केजीबीवी के रूप में घोषित किया गया है। जिनकी कुल संख्या 68 थी।
- *"यह भी ध्यातव्य है कि सत्र 2018–19 में सोजत, पाली की कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 के बालिका छात्रावास को भी एकीकृत किया गया था। लेकिन इनके परिसर दूर एवं अलग–अलग होने के कारण वर्तमान सत्र 2019–20 में इन्हें पुनः टाईप–1 एवं टाईप–4 में विभाजित किया गया हैं"।*
- एकीकृत केजीबीवी टाईप–4 में कक्षा 9 से 12 तक की समस्त बालिकाओं के लिए आवंटित बजट में सभी मदों/उपमदों के अर्न्तगत समान प्रावधान किया गया है। सभी छात्रावास एक इकाई के रूप में संचालित किये जायेंगे। वर्तमान में राज्य में कुल 119 केजीबीवी टाईप–4 के छात्रावास संचालित हैं।

केजीबीवी (शारदे बालिका छात्रावास) Type-IV-119 की जिलेवार सूची संलग्नः– परिशिष्ट–1

केजीबीवी टाईप–4 के संचालन संबंधी निर्देश

2. केजीबीवी (छात्रावास) का संचालनः–

- एकीकृत केजीबीवी योजना के अर्न्तगत केजीबीवी टाईप–4 (पूर्ववर्ती शारदे बालिका छात्रावास) संबंधित नोडल विद्यालय के अभिन्न अंग हैं। **इनका संचालन केजीबीवी के नोडल विद्यालय की स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के द्वारा किया जायेगा।** इसके सहयोग हेतु एक उप समिति भी **"छात्रावास संचालन समिति"** के नाम से नामित होगी (जिसका वर्णन नीचे बिन्दु संख्या–4 में अंकित हैं)। संबंधित संस्था प्रधान छात्रावास की सभी गतिविधियों हेतु व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होंगे।
- विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति **(SDMC)** का गठन के प्रत्येक 2 वर्ष बाद नियमानुसार नवीनीकरण किया जायेगा। एसडीएमसी का गठन केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य द्वारा समस्त अभिभावकों को सूचित कर आरटीई 2009 में प्रावधित नियमों का पालन करते हुए अपनी अध्यक्षता में शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

- केजीबीवी से संबंधित नोडल प्रधानाचार्य, जिले के प्रशासनिक एवं लेखाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए केजीबीवी एसडीएमसी सचिव एवं सदस्यों का एसडीएमसी के नियमों एवं प्रावधानों संबंधी अभिमुखीकरण (वर्ष में दो बार–जुलाई में एक दिवसीय तथा जनवरी में एक दिवसीय) अनिवार्य रूप से करवायेगा। जिससे एसडीएमसी अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा नियमों का स्पष्टता से पालना कर सके। इसके लिए अधिकतम व्यय रुपये 30 प्रतिव्यक्ति प्रति अभिमुखीकरण की दर से विविध उपमद से किया जा सकेगा।
- केजीबीवी में **राजकीय सेवा की प्रतिनियुक्त वार्डन, अध्यापिका** की नियुक्ति यदि उसी नोडल विद्यालय में है तो उसे एसडीएमसी में अनिवार्य रूप शामिल की जाये **यदि नियमानुसार सम्भव हो तों सचिव का दायित्व दिया जावें।** यदि राजकीय अध्यापिका वार्डन के रूप में केजीबीवी में कार्यरत नहीं है तो **नोडल विद्यालय में कार्यरत अन्य राजकीय महिला शिक्षिका को ही सचिव का कार्यभार सौंपा जाये।**
- विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति **(SDMC)** ***और उसके दायित्व के संबंध में सामुदायिक गतिशीलता एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून प्रभाग द्वारा जारी परिपत्र में उल्लेखित संविधान, अधिकार एवं कर्तव्य अनुसार कार्यवाही की जावेगी।***
- विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति **(SDMC)** के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के अधिकार संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को होंगे।
- विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति **(SDMC) (**.स्थान का नाम लिखे.**)** के नाम से बैंक में खाता खोला जायेगा। अनुमोदित संबंधित गतिविधियों की राशि राज्य/जिले द्वारा केजीबीवी हेतु इसी खाते में भेजी जायेगी।
- एसडीएमसी का सदस्य सचिव समिति के समस्त कार्यालयी पत्र व्यवहार पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होगा।
- केजीबीवी टाईप–4 में आहरण एवं वितरण संबंधी अधिकार एसडीएमसी के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के पास संयुक्त रूप से होगें। छात्रावास से सम्बन्धित व्यय के सभी निर्णयों में वार्डन की राय को शमिल करतें हुऐ सामूहिक एवं सर्व सम्मति से छात्राओं के हित में किये जाऐगें। प्रत्येक प्रकार की खरीद के उपरान्त एसडीएमसी का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

2.1. विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे –

- समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना।
- विद्यालय प्रबन्धन के साथ–साथ केजीबीवी के संचालन एवं बालिकाओं की सुरक्षा की मॉनीटरिंग करना।
- केजीबीवी छात्रावास के विकास योजना तैयार करना ओर अभिशंषित करना।
- केजीबीवी में शिक्षा से वंचित वर्ग की बालिकाओं का नामांकन, नामांकित बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चहुँमुखी विकास, संसाधनों का संरक्षण व विकास इत्यादि में सक्रिय योगदान देना।
- केजीबीवी में बालिकाओं के ठहराव की सुनिश्चिता हेतु अभिभावक–शिक्षक बैठकों को प्रभावी बनाना।
- राज्य सरकार या किसी भी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग एवं मॉनीटरिंग करना।
- क्रय आदि की नियमानुसार कार्यवाही को पारदर्शिता रखते हुए संपादित करना।
- केजीबीवी के सभी तरह के अभिलेख तैयार करना/करवाना एवं अभिलेखों को अपडेट रखना।
- केजीबीवी संचालन में लिखित निर्देशों की पालना करवाते हुए समस्त कार्यों को समय पर करवाना।
- अन्य सभी कार्य जो समय–समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये जावे।
- शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों का संपादन निर्धारित समय एवं निर्देशानुसार करना।
- आकस्मिक/आपातकालीन स्थितियों में समय पर दायित्व का निर्वहन करना।

3. छात्रावास में बालिकाओं का नामांकन एवं ट्रान्जिशनः–

एकीकृत केजीबीवी योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा से वंचित पात्र बालिकाओं यथा– Never Enrolled & Drop out, को केजीबीवी टाईप–4 में कक्षा 9 से 12 में प्रवेश देकर स्कूली शिक्षा को पूर्ण करवाना हैं।

3.1. छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्रता :–

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत बालिका छात्रावास की योजना के अनुसार निम्नांकित श्रेणियों की बालिकाओं को छात्रावासों मे प्रवेश दिये जाने के लिये पात्र माना गया है:–

(क) संबंधित ब्लॉक की केजीबीवी में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाओं को प्राथमिकता से केजीबीवी टाईप–4 के (कक्षा 9 से 12) में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(ख) सम्बन्धित ब्लॉक के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (BPL Families) की बालिकाएं।

3.2. छात्रावास में प्रवेश हेतु वरीयता क्रम :–

केजीबीवी में कक्षा 8 की समस्त अध्ययनरत बालिकाओं को समावेशित करने उपरान्त छात्रावासों में रिक्त माध्यमिक कक्षाओं में (कक्षा 9 से 12) बालिकाओं का निम्न वरीयता–क्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा:–

- **प्रथम वरीयताः–** सम्बन्धित ब्लॉक की वे सभी बालिकाएं जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय/छात्रावास से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है तथा कक्षा 9वीं में अध्ययन नियमित रखना चाहती हैं।
- **द्वितीय वरीयताः–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे परिवारों की छात्राएं जो कि बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल हैं।
- **तृतीय वरीयताः–**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे परिवारों की छात्राएं जो बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल नही हैं।
- **चतुर्थ वरीयताः–** वे छात्राएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की तो नहीं है, परन्तु जिनके परिवार बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल हैं।
- **अन्तिम वरीयताः–** यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की सभी छात्राओं को प्रवेश देने के बाद उनकी संख्या 50 प्रतिशत से कम रहती हैं तो शेष सीटों पर बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल अन्य परिवारों की छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकेगा।

प्रवेश के लिए आवेदनों की अधिकता होने पर निम्न अन्य प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए–

- 14+ से 18 आयु वर्ग की ड्राप आउट/अनामांकित बालिकाऐं।
- मैला ढ़ोने वाले परिवारों की बालिकाएं।
- विशेष आवश्यकता वाली (CWSN) बालिकाएं। (कुल नामांकन का 5 प्रतिशत)
- एचआईवी/एड्स से ग्रसित अभिभावकों की बालिकाएं।
- अन्य विशेष परिस्थिति एवं सहायता की आवश्यकता वाली बालिकाओं यथा विधवा/परित्यक्ता की पुत्री, अनाथ, शारीरिक शोषण की शिकार बालिका, बाल श्रम से प्रभावित बालिकाएं, इत्यादि।
- समाज की मुख्य धारा से अलग सामाजिक समूहों/परिवारों की बालिकाओं जैसे घुमन्तू समुदाय, पलायन करने वाले समुदाय एवं परिवार आदि।
- आवेदन पत्रों की अधिकता होने पर उपरोक्त सभी वर्गों में से क्रमशः अनाथ/बीपीएल परिवारों/विधवा/परित्यक्ता की बालिकाओं को प्राथमिकता दें।

नोटः– प्रथम चरण में उसी विकास खण्ड की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाये। यदि प्रवेश के निर्धारित लक्ष्य पूरे नही होते हैं तो जिले की अनामांकित, अन्य ब्लॉक की बालिकायें तथा अन्य जिले की समीपस्थ ब्लॉक की अनामांकित बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

➢ प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ग एवं कक्षा में न्युनतम 20 स्थान की पूर्ति करतें हुऐं कुल क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक नांमाकंन किया जा सकता हैं। लेकिन आवर्ती मद में अधिकतम 100 बालिकाओं के लिए ही राशि जारी की जाऐगी।

3.2. प्रवेश हेतु प्रचार–प्रसार :–

सत्र 2019–20 में मॉटिवेशन कैम्पों से संबंधित दिशा–निर्देश निम्नानुसार रहेगें।
नांमाकंन लक्ष्य पूर्ण करने हेतु एवं समुदाय में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, केजीबीवी योजना की समाज में जागरूकता बढ़ाने और केजीबीवी में बालिकाओं हेतु उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी देने हेतु मोटिवेशन कैम्पों का आयोजन किया जाता है। जिले की समस्त केजीबीवी में लक्ष्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नामांकन पूर्ण करने हेतु ब्लॉकवार योजना बनाये जाने का प्रावधान है।

जिसकें अर्न्तगत सत्र 2019–20 में अधिकतम दो मोटीवेशन कैम्प आयोजित किये जा सकेंगे। इस हेतु सीबीईओ, केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य एवं पीईईओ की अहम भूमिका है।
चिन्हित किसी ग्राम पंचायत में बालिकाओं, उनके अभिभावकों एवं समाज का उपरोक्त योजना के प्रति आमुखीकरण करने हेतु दो दिवसीय गैर आवासीय शिविर (मोटीवेशन कैम्प) मई एवं जून में इस प्रकार आयोजित करें कि–

- जिला अधिकारियों द्वारा अप्रेल माह में बालिका छात्रावासों के संदर्भ में स्थानीय समाचार पत्रों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, पेम्पलेट्स, वॉल पेन्टिंग्स आदि द्वारा केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं को उल्लेखित करते हुये व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
- स्थानीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद छात्रावास के समीप के रा.उ.मा. वि/मा.वि में बालिकाओं के प्रवेश के साथ ही शिक्षा को आगे जारी रखने हेतु प्रेरित करें तथा छात्रावास में प्रवेश योग्य पात्रता एवं वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दें। बैठक में छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें। यह चर्चा संबंधित संस्था प्रधानों से भी की जाए।
- इन छात्रावासों के नोडल विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र सम्बंधित छात्रावास के निकटतम विद्यालयों में माह अप्रैल तक वार्षिक परीक्षा के दौरान भिजवाया जाना आवश्यक है।
- अभिभावकों के लिए अवलोकन का कार्यक्रम भी बनाया जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ ही अभिभावकों से सहमति पत्र आवश्यक रूप से भरवाया जावे।
- केजीबीवी में प्रवेश की सूचना आकर्षक स्लोगनों द्वारा पंचायत भवनों, राजकीय विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं जाये।
- इन शिविरों में लक्षित बालिकाओं, उनके अभिभावकों, स्थानीय समुदायों, महिला समुदायों, जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करें। अल्पसंख्यक केजीबीवी में अल्संख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित करें।
- **"महिला सशक्तिकरण के पाँच सूत्र"** के फ्लेक्स चार्ट दीवार पर लगाएं।
- प्रेरक वाक्यों, सफल महिलाओं के चित्रों से शिविर स्थल को सुसज्जित करें।
- शिविर स्थल में बालिकाओं द्वारा सृजित सामग्री की प्रदर्शनी लगाएं।
- बैठक का माहौल सहज एवं मिलनसार बनाने हेतु सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करें।

3.3. मॉटिवेशन कैम्प की गतिविधियाँ –

मोटिवेशन कैम्प में बालिकाओं को विद्यालय में प्रदत्त निम्नांकित सुविधाओं तथा केजीबीवी हेतु उपलब्ध स्टाफ का परिचय देने हेतु आमन्त्रित करें –

- **आधारभूत ढाँचा:** विद्यालय भवन में आवास हेतु कक्ष, कक्षा–कक्ष शौचालय, विद्युत एवं पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध हैं।
- **स्टाफ:** केजीबीवी में महिला वार्डन/सहायक वार्डन की ही नियुक्ति की जाती है, जो विद्यालय समय एवं विद्यालय समय उपरान्त भी बालिकाओं को शैक्षिक सम्बलन प्रदान करती हैं। चौकीदार चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है।
- **निःशुल्क सुविधाएं:** दोनों समय पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन, पाठ्य पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री, स्वाध्याय हेतु पुस्तकें एवं दैनिक आवश्यकता की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

- **क्षमता अभिवर्धन गतिविधियाँ** : जैसे– कम्प्यूटर शिक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्जिला शैक्षिक भ्रमण, उपचारात्मक शिक्षण, खेलकूद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दें।
- **स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता** : केजीबीवी की बालिकाओं की प्रत्येक माह स्वास्थ्य जाँच की जाती है एवं आवश्यकतानुसार उपचार किया जाता है। सैनेटरी नैपकिन्स की निशुल्क उपलब्धता तथा इन्सीनरेटर की सुविधा के बारे में भी बताएं।
- केजीबीवी में अध्ययनरत बालिकाओं को अपने अनुभव सुनाने, केजीबीवी के बालिका–मित्रवत वातावरण, सुरक्षात्मक, आनन्ददायी एवं प्रेरक वातावरण का परिचय देने हेतु आमन्त्रित करें।
- केजीबीवी में आवेदन पत्रों के साथ अभिभावक द्वारा अपनी बालिका को स्वेच्छा से आवासीय विद्यालय में रखने एवं नियमों की पालना हेतु सहमति पत्र भी भरवाएं। प्रवेश के लिए पात्र बालिकाओं से ही आवेदन पत्र लिये जायें।

3.4. नामांकन प्रवेश एवं सबंलन समितिः–

ब्लॉक स्तर पर प्रवेश एवं सम्बलन समिति का गठन निम्नानुसार होगा –

ब्लॉक स्तरीय प्रवेश एवं सम्बलन समिति

तालिका–2

छात्रावास का नोडल संस्था प्रधान	अध्यक्ष
केजीबीवी एसडीएमएसी की सचिव/वरिष्ठ व्याख्याता	सदस्य
छात्रावास वॉर्डन	सदस्य सचिव
सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.)	सदस्य
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि. मुख्यालय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि	सदस्य

3.5. प्रवेश हेतु प्रक्रियाः–

प्रवेश एवं सम्बलन समिति निम्नानुसार अपने कार्यो का निर्वहन सुनिश्चित करेगी –

1. प्रवेश एवं सम्बलन समिति छात्रावास कक्षा 9 से 12 हेतु रिक्त स्थानों की सूचना वार्डन से प्राप्त करेगी तथा रिक्त स्थानों पर नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी।
2. नामांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व संबंधित केजीबीवी के निकटतम विद्यालयों में आवेदन प्रपत्रों को बालिकाओं के प्रवेश हेतु उपलब्ध करवाये जायेगें व भरे गये आवेदनों को प्राप्त करेगी।
3. कोई भी बालिका स्वयं या उाके अभिभवक सीधे ही केजीबीवी अथवा नोडल प्रधानाचार्य के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
4. 15 जुलाई 2019 को प्रवेश एवं सम्बलन समिति की बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कर प्रवेश सूचियां तैयार करेगीं। **उक्त बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।**
5. समिति प्राप्त आवेदन मय अभिभावकों की सहमति पत्रों का वर्गवार वर्गीकरण करेगी तथा प्राथमिकता का निर्धारण कर प्रवेश सूची तैयार करेगी। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या ज्यादा है तो 3.2 में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। बीपीएल वर्ग में कम आय से अधिक आय की वरीयता बनाई जाये।
6. प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किये जायेगे। ये सूचियां 16 जुलाई 2019 को जारी की जावेगी। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि मान्य होगी।
7. बालिकाओं से न्यूनतम 2 अभिभावकों के फोटो एवं मोबाईल नं0 प्रवेश के समय ही निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लिये जावें जो प्रायः बालिकाओं से मिलने, उन्हें घर ले जाने एवं विद्यालय छोड़ने आयेगें।
8. समिति द्वारा प्रवेश की सूची के साथ आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।
9. प्रवेश सूची एवं आरक्षित सूची का अनुमोदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा करवाया जायेगा।

10. जिले की समस्त केजीबीवी में लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक नामांकन पूर्ण करने हेतु ब्लॉकवार योजना बनाई जाए। इस हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी, बालिका शिक्षा के द्वारा भी प्राथमिकता से मॉनिटरिंग की जाये।
11. प्रवेश हेतु प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में एक प्रवेश फाईल संधारित की जाएगी तदानुसार छात्रा स्कॉलर रजिस्टर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सत्र में ग्रीष्मावकाश से पूर्व छात्रा स्कॉलर रजिस्टर अपडेट किया जाएगा।
12. **केजीबीवी छात्रावास के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केजीबीवी विद्यालय सीमित सीटों के लिये विशेष सुविधायुक्त है। अतः इनमें कोई भी सीट रिक्त नहीं रहनी चाहिए अथवा लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने वाली बालिका के स्थान पर भी वर्षपर्यन्त कभी भी प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। केजीबीवी के नोडल प्रधानाचार्य एवं वार्डन संयुक्त रूप इसका विशेष ध्यान रखें एवं समय–समय पर सीबीईओं के संज्ञान में लाते हुऐ नामांकन लक्ष्य पूर्ण करें।**
13. नोडल प्रधानाचार्य द्वारा प्रवेश हेतु चयनित बालिकाओं को बुलाकर प्रवेश फॉर्म की समस्त पूर्तियां अंकित करवाकर प्रमाणीकरण किया जाये।
14. बैठक में यथा सम्भव सभी सदस्य उपस्थित हो। कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
15. प्रवेश प्रक्रिया में किसी विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

नोटः–जिन केजीबीवी छात्रावासों में गत वर्षो में नामांकन लक्ष्य से कम रहा हैं वहां के लिये विशेष प्रयास किये जाए। ब्लॉक के सीबीईओ, संदर्भ व्यक्ति, नोडल प्रधानाचार्य एवं पीईईओ जिनके परिक्षेत्र में केजीबीवी स्थित है, केजीबीवी स्टाफ को साथ लेकर, नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने हेतु, मोटिवेशन कैम्पों की योजना बनायें, उनमें सक्रिय भूमिका निभाऐं, अनामांकित ड्राप–आउट बालिकाओं की सूची तैयार कर अभिभावकों से संपर्क करें। **प्रत्येक केजीबीवी में शत प्रतिशत नामांकन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिम्मेंदार हैं वे अपनी देखरेख में विशेष प्रयास करेगें।**

4. केजीबीवी (छात्रावास) का जिलास्तरीय संचालनः–

केजीबीवी टाईप–4, छात्रावास, कक्षा 9 से 12 का **द्विस्तरीय संचालन समिति** द्वारा किया जा रहा हैं–

1. जिला स्तर पर निष्पादक समिति
2. छात्रावास संचालन समिति

4.1. जिला स्तर पर निष्पादक समिति–

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है (प्रशानिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग के पत्रांक 6 (27)प्र.सु./ग्रुप– 3/2015 दिनांक 15.04.2015):–

तालिका–3

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	*जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	सदस्य
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,	सदस्य
4	उप निदेशक, समेंकित बाल विकास सेवाऐं (ICDS)	सदस्य
5	जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6	जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	प्रधानाचार्य डाईट	सदस्य
8	दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (जिसमें कम से कम एक महिला हो) जिसको जिला कलक्टर द्वारा 2 वर्ष के रोटेशन पर नामित किया जावेगा	सदस्य
9	शिक्षक संघ के दो सदस्य (कलक्टर द्वारा नामित) जिसमें कम से कम एक महिला हो	सदस्य
10	स्वैच्छिक संस्था का सदस्य (कलक्टर द्वारा नामित)	सदस्य
11	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य

12	* जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वितीय	सदस्य
13	* जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव

*** जिला शिक्षा अधिकारी का पद नाम अब अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, (ADPC) समग्र शिक्षा हो गया है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एवं** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान **सत्र 2018–19 से एकीकृत होकर समग्र शिक्षा हो चुका हैं। इसके अनुसार ही उक्त तालिका को पढ़ा जावें।**

4.2. <u>छात्रावास संचालन समिति–</u>

तालिका–4

1	बालिका छात्रावास के नोडल विद्यालय का संस्था प्रधान (विद्यालय की SDMC का अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक SMSA द्वारा मनोनित एक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
3	नोडल विद्यालय की SDMC सचिव	सचिव
4	नोडल विद्यालय का कैशियर	सदस्य
5	बालिका छात्रावास की वार्डन (राजकीय सेवा की)	सदस्य
6	बालिका छात्रावास में आवासरत बालिकाओं के दो अभिभावक (जिनमें से एक महिला हो)	सदस्य
7	छात्रावास में आवासरत एक बालिका (कक्षा 12 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत को प्राथमिकता दी जानी है)	सदस्य

नोटः– बालिका छात्रावास के संबंधित नोडल विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति आवश्यकता होने पर बालिका छात्रावास योजना के वित्तीय प्रावधानों के अतिरिक्त भी विद्यालय विकास कोष, छात्र कोष, अन्य किसी योजना में प्राप्त अनुदान एवं भामाशाहों से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग भी छात्रावास हेतु कर सकेगी।

4.3 <u>बालिका छात्रावास संचालन समिति के दायित्वः–</u>

बालिका छात्रावास संचालन समिति उपर वर्णित बिन्दु संख्या 02 एवं 03 के अतिरिक्त निम्न बिन्दु संख्या 04,05 एवं 06 पर निर्धारित दायित्वों के अनुसार कार्य एवं मॉनेटरिंग करेगी–

4.3.1 <u>केजीबीवी उर्त्तीण बालिकाओं का ट्रांजिशन एवं ट्रेकिंगः–</u>

केजीबीवी छात्रावास में कक्षा 9 में प्रवेश पाने वाली प्रत्येक बालिका कक्षा 12 उर्त्तीण करके ही जाऐं इस हेतु छात्रावास प्रबंधन को अकादमिक एवं सहयोगी गतिविधियों एवं जीवन कौशल व सहभागी वातावरण निर्माण कर बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये प्रत्येक केजीबीवी में छात्रावार ट्रांजिशन एवं ट्रेकिंग योजना तैयार कर कियान्वित की जाये।

ट्रान्जिशन की रणनीति इस प्रकार बनायी जाये कि केजीबीवी में एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् सभी बालिकाएं 12वीं तक शिक्षा पूरी करें। विशेष परिस्थिति में जो बालिकाएं कक्षा 10 उत्तीर्ण करने उपरान्त कक्षा 11 में विषय चयन कर आगामी शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें अन्य राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाया जाकर केजीबीवी में रिकार्ड संधारित करें। ऐसी बालिकाओं की ट्रैकिंग करने का उत्तरदायित्व भी वार्डन का होगा।

कक्षा 12 के पश्चात बालिका ने आत्मनिर्भरता हेतु क्या प्रयास किया और क्या कर रही है, इसकी सूचना का रिकार्ड भी केजीबीवी द्वारा अगामी 3 वर्षों तक संधारित किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु बालिका का शैक्षिक रिकॉर्ड रखा जावे एवं इसकी एन्ट्री केजीबीवी शाला दर्पण में भी समय–समय पर अपडेट किया जाए। इस हेतु एक पृथक रजिस्टर प्रत्येक केजीबीवी में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षण अधिकारी अवलोकन के समय उक्त रजिस्टर का भी अवलोकन करें।